FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान एडवोकेट, चेम्बर नं. 2, कचहरी परिसर बाली जिला पाली (राज.)

सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 47 /2019
R.C.M.S. No. --2019/00
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/5/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	616-17 21/5/19
29/5/19	अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी (SDO) बाली द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जावे। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर SDO बाली को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी बाली ने जरिए पत्रांक 555 दिनांक 13-5-2019 (14) के प्रत्युत्तर प्रेषित किया जो शामिल मिसल किया जावे। लोक सू० अधि० के अनुसार अपी० द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट प्रकृति की होने, वांछित सूचना में तिथियों का उल्लेख न होने से तथा तृतीय पक्षकार का अभिमत प्राप्त करने में कठिनाई होने से सूचना दिया जाना का आवेदन पत्र में RTI 2005 की धारा 6(1) की अनुपालना नहीं करने एवं वांछित सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया। उसकी सूचना आवेदक को जरिए पत्रांक 1192 दि. 26-12-2018 के प्रेषित कर दी गई। तथा अपील पत्र का जवाब भी प्रेषित किया जो शामिल पत्रावली है। अपीलार्थी द्वारा जवाब एवं SDO के पत्र में वर्णित कमियों की पूर्ति करते हुए सू० के अधिकार नियम 6(1) के अनुसार पूर्ति कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना दिया जाना सम्भव नहीं होने से तथा अपील में इस न्यायालय से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। SDO बाली के पत्रों की प्रतियां अपीलार्थी को प्रेषित करें। पत्रावली [illegible] फैसल होकर दाखिल रिकार्ड हो। जिला कलेक्टर पाली	778 4/6/19